



भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र: नीति, प्रदर्शन, योजनाएँ एवं चुनौतियाँ — एक समीक्षात्मक अध्ययन भारत सरकार की नवीनतम रिपोर्टों के विशेष संदर्भ में (2020-2025)

महेश कुमार

पीजी छात्र, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: *महेश कुमार

सारांश

भारत का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% का योगदान करता है, कुल निर्यात में 45% से अधिक की भागीदारी रखता है, तथा कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार का सृजन करता है। नवम्बर 2025 तक उद्यम पोर्टल एवं उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 7.16 करोड़ से अधिक इकाइयाँ पंजीकृत हो चुकी हैं, जो 31.33 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। इस समीक्षात्मक शोध-पत्र में MSME क्षेत्र की संरचनात्मक विशेषताओं, सरकारी नीतियों, प्रमुख योजनाओं, वित्तीय प्रावधानों, क्षेत्रीय वितरण तथा विद्यमान चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह पत्र MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, भारत सरकार के बजट दस्तावेज़ 2025-26, PIB प्रेस रिलीज़ एवं अन्य अधिकृत स्रोतों पर आधारित है।

Manuscript Information

- ISSN No: xxxx-xxxx
- Received: 13-03-2025
- Accepted: 05-04-2025
- Published: 15-04-2026
- IJCRP:5(1); 2026: 12-18
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

महेश कुमार. भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र: नीति, प्रदर्शन, योजनाएँ एवं चुनौतियाँ – एक समीक्षात्मक अध्ययन- भारत सरकार की नवीनतम रिपोर्टों के विशेष संदर्भ में (2020-2025). Int. J. Creative Res. Publ. 2026;5(1):12-18.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: MSME, उद्यम पंजीकरण, PMEGP, CGTMSE, MUDRA योजना, GDP योगदान, रोजगार, निर्यात, डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन

1. प्रस्तावना

भारत एक विविधताओं से भरा विशाल राष्ट्र है जहाँ आर्थिक विकास का मुख्य आधार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही लघु उद्योगों को भारतीय औद्योगिक नीति में केन्द्रीय स्थान प्राप्त रहा है। वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MSMED Act) पारित हुआ, जिसने इस क्षेत्र को एक सुदृढ़ विधिक ढाँचा प्रदान किया। 9 मई 2007 को लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय कर MSME मंत्रालय की स्थापना की गई, जो तब से इस क्षेत्र की नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

कोविड-19 महामारी (2020-21) ने MSME क्षेत्र के समक्ष गहरी आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न कीं। किन्तु सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों, MSME परिभाषा के पुनर्गठन (जुलाई 2020), उद्यम पोर्टल के शुभारंभ एवं आपातकालीन ऋण योजनाओं ने इस क्षेत्र को

पुनर्जीवित किया। वर्तमान में यह क्षेत्र न केवल आर्थिक पुनरुत्थान का प्रतीक बन चुका है, अपितु 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न को साकार करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य नवीनतम सरकारी आँकड़ों के आधार पर MSME क्षेत्र की समग्र समीक्षा करना है, ताकि नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं उद्यमियों को एक व्यापक सन्दर्भ उपलब्ध कराया जा सके।

2. MSME की परिभाषा एवं वर्गीकरण

1 जुलाई 2020 से प्रभावी नई वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत MSME की परिभाषा निवेश एवं वार्षिक टर्नओवर दोनों के संयुक्त आधार पर निर्धारित की गई है। इस संशोधन ने उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रों के मध्य के पूर्व भेद को समाप्त किया और निर्यात-आधारित टर्नओवर को कुल टर्नओवर से पृथक् कर व्यापार सुगमता में महत्वपूर्ण सुधार किया।

तालिका 1: MSME का संशोधित वर्गीकरण (जुलाई 2020 से प्रभावी)

उद्यम का प्रकार	संयंत्र व मशीनरी में निवेश (अधिकतम)	वार्षिक टर्नओवर (अधिकतम)
सूक्ष्म उद्यम (Micro)	₹1 करोड़	₹5 करोड़
लघु उद्यम (Small)	₹10 करोड़	₹50 करोड़
मध्यम उद्यम (Medium)	₹50 करोड़	₹250 करोड़

स्रोत: MSME मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 26 जून 2020 / MSME Annual Report 2024-25

इस संशोधन के फलस्वरूप अनेक उद्यम जो पूर्व में मध्यम श्रेणी से बाहर थे, अब MSME के दायरे में आ गए। खुदरा एवं थोक व्यापार को भी 2 जुलाई 2021 से MSME की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सुविधाओं के लिए सम्मिलित किया गया, जो इस क्षेत्र के समावेशी विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

3. MSME क्षेत्र का आर्थिक योगदान

MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख स्तंभों — GDP, रोजगार एवं निर्यात — में अपरिहार्य भूमिका निभाता है। MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक का योगदान देता है, विनिर्माण क्षेत्र में 35.4% तथा कुल निर्यात में 45.73% की भागीदारी रखता है।

तालिका 2: MSME क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक संकेतक (2024-25)

संकेतक	मूल्य / आँकड़ा	स्रोत
GDP में योगदान	~30.1%	MSME मंत्रालय, PIB 2025
विनिर्माण GDP में योगदान	35.4%	MSME Annual Report 2024-25
कुल निर्यात में हिस्सेदारी	45.73%	MSME Annual Report 2024-25
विनिर्माण GVA में योगदान	6.11%	IBEF 2024
सेवा GVA में योगदान	24.63%	IBEF 2024
पंजीकृत MSME इकाइयाँ (नवम्बर 2025)	7.16 करोड़	Udyam Portal
कुल रोजगार (नवम्बर 2025 तक)	31.33 करोड़	Udyam Portal
MSME निर्यात (FY 2023-24)	45.74% (पुनर्प्राप्ति)	DGCI&S / MSME मंत्रालय

स्रोत: MSME Annual Report 2024-25, PIB Press Release, IBEF India MSME Report 2024

MSME क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनता है। यह क्षेत्र बड़े उद्योगों के लिए सहायक इकाइयों का कार्य करता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण होता है।

पोर्टल निःशुल्क, कागज-रहित एवं स्व-घोषणा आधारित प्रक्रिया प्रदान करता है। 11 जनवरी 2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) का लाभ दिलाना था।

4. उद्यम पंजीकरण: प्रगति एवं संरचना

1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ MSME क्षेत्र के औपचारिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी। यह

तालिका 3: उद्यम पंजीकरण की वर्षवार प्रगति

तिथि / अवधि	उद्यम पोर्टल पंजीकरण	UAP पंजीकरण	कुल पंजीकरण
फरवरी 2024 तक	3.64 करोड़	—	3.64 करोड़+
जुलाई 2024 तक	3.80 करोड़ (अनुमानित)	2.40 करोड़ (अनुमानित)	6.20 करोड़+
अक्टूबर 2025 तक	3.80 करोड़	2.72 करोड़	6.52 करोड़
नवम्बर 2025 तक	~4.44 करोड़	2.72 करोड़+	7.16 करोड़

स्रोत: PIB Press Release 2025, IBEF MSME Report नवम्बर 2025

श्रेणी-वार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि पंजीकृत MSME में सूक्ष्म उद्यमों की प्रधानता है। मार्च 2024 के आँकड़ों के अनुसार, कुल पंजीकरण में 97% से अधिक सूक्ष्म उद्यम हैं, जबकि लघु उद्यम 1.5% तथा मध्यम उद्यम मात्र 0.8% हैं। यह संरचना भारतीय MSME परिदृश्य की विशेषता को दर्शाती है। क्षेत्रवार देखें तो व्यापार (Trading) क्षेत्र में 43.79%, सेवा क्षेत्र में 35.27% तथा विनिर्माण में 20.93% इकाइयाँ पंजीकृत हैं।

राज्यवार वितरण में महाराष्ट्र (90 लाख, ~13%), उत्तर प्रदेश (77 लाख, ~11%) तथा तमिलनाडु (57 लाख, ~8%) अग्रणी हैं। ये तीन राज्य मिलकर कुल उद्यम पंजीकरण का लगभग 32% भाग रखते हैं।

5. प्रमुख सरकारी योजनाएँ एवं उपलब्धियाँ

भारत सरकार ने MSME क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक बहुआयामी नीतिगत ढाँचा तैयार किया है जिसमें ऋण सहायता,

तकनीकी उन्नयन, बाज़ार पहुँच, कौशल विकास तथा अवसंरचना से संबंधित विविध योजनाएँ सम्मिलित हैं।

5.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

PMEGP एक ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसे 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) के विलय से आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है।

FY 2024-25 (21 अक्टूबर 2024 तक) के आँकड़ों के अनुसार, इस योजना की स्थापना से अब तक 9.82 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को ₹25,935.24 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई है, जिससे 80 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला। इनमें 80% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 50% अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं।

5.2 क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)

CGTMSE सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संपार्श्विक-रहित ऋण प्रदान करने की एक अभूतपूर्व व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत सदस्य ऋण संस्थाएँ (MLIs) बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती हैं। बजट 2025-

26 में गारंटी कवरेज की सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई है। महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज 90% तक बढ़ाई गई है।

PIB रिपोर्ट (अक्टूबर 2025) के अनुसार, CGTMSE के अंतर्गत स्थापना से अब तक 1.18 करोड़ से अधिक क्रेडिट गारंटी ₹9.80 लाख करोड़ मूल्य की जारी की गई हैं। केवल FY 2024-25 में ₹3 लाख करोड़ से अधिक की क्रेडिट गारंटी दी गई जो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है।

5.3 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

2015 में स्थापित MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency) के अंतर्गत PMMY गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के चार स्तर हैं: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,001-5 लाख), तरुण (₹5-10 लाख) तथा तरुण प्लस (₹10-20 लाख)।

बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी में पूर्व ऋण चुकाने वालों के लिए मुद्रा ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई। अप्रैल 2025 तक 52.37 करोड़ मुद्रा ऋणों के माध्यम से ₹33,65,000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई।

तालिका 4: प्रमुख MSME योजनाओं का तुलनात्मक विवरण (2024-25)

योजना	उद्देश्य	प्रमुख उपलब्धि (2024-25 तक)	लाभार्थी
PMEGP	स्व-रोजगार/सूक्ष्म उद्यम	9.82 लाख इकाइयाँ; ₹25,935 करोड़ सब्सिडी; 80 लाख+ रोजगार	नए उद्यमी
CGTMSE	संपार्श्विक-रहित ऋण गारंटी	1.18 करोड़ गारंटी; ₹9.80 लाख करोड़; FY25 में ₹3 लाख करोड़	MSE इकाइयाँ
PMMY/MUDRA	सूक्ष्म उद्यम वित्तपोषण	52.37 करोड़ ऋण; ₹33.65 लाख करोड़ स्वीकृत	गैर-कॉर्पोरेट MSE
RAMP	राज्य-केन्द्र सहयोग	₹6,000 करोड़ परिव्यय (5 वर्ष); विश्व बैंक सहायता	MSMEs व राज्य सरकारें
ZED प्रमाणीकरण	गुणवत्ता/हरित उत्पादन	2,37,912 MSMEs प्रमाणित	विनिर्माण MSMEs
SFURTI	पारंपरिक उद्योग समूह	कारिगरो को CFC एवं बाज़ार सहायता	ग्रामीण कारिगर

स्रोत: MSME Annual Report 2024-25; भारत सरकार बजट दस्तावेज़ 2025-26 (sbe68.pdf); PIB

6. बजटीय आवंटन एवं वित्तीय प्रावधान

MSME मंत्रालय को केंद्रीय बजट में लगातार बढ़ती प्राथमिकता दी जा रही है। FY 2025-26 के केंद्रीय बजट में MSME मंत्रालय को

₹23,168 करोड़ (\$2.7 बिलियन) का आवंटन किया गया, जो FY 2024-25 की तुलना में 4.6% की वृद्धि है।

तालिका 5: MSME मंत्रालय को बजट आवंटन (वर्षवार)

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (₹ करोड़)	मुख्य नीतिगत विशेषताएँ
2020-21	~15,700	ECLGS लॉन्च (₹3 लाख करोड़ की गारंटी), COVID राहत
2021-22	~15,000	ECLGS विस्तार; CGTMSE को ₹3,000 करोड़
2022-23	~21,422	RAMP कार्यक्रम आरंभ; ECLGS विस्तार
2023-24	~22,138	ECLGS विस्तार; MSME Fund of Funds ₹10,000 करोड़
2024-25	~22,137	CGTMSE पुनर्गठन; TReDS विस्तार; MUDRA लिमिटेड वृद्धि
2025-26	23,168	CGTMSE ₹10 करोड़ सीमा; नई MSME-TEAM योजना

स्रोत: भारत सरकार बजट दस्तावेज़ (indiabudget.gov.in); MSME Annual Report 2024-25; IBEF

7. डिजिटलीकरण एवं तकनीकी पहल

'डिजिटल इंडिया' मिशन के अनुरूप MSME क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। सरकार ने MSME को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं: उद्यम पोर्टल को राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) तथा स्किल इंडिया डिजिटल के साथ एकीकृत किया गया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने मार्च 2024 तक 58 लाख ऑर्डर प्रदान किए। MSME SAMPARK पोर्टल (जून 2018 से) MSMEs को प्रशिक्षित जनशक्ति से जोड़ता है। MSME Samadhaan पोर्टल विलंबित भुगतान की शिकायतों के निपटारे का डिजिटल मंच है — वर्तमान में लंबित मामले 93,000 से घटकर 44,000 हो गए हैं। MSME-TEAM योजना (27 जून 2024 को लॉन्च) ₹277.35 करोड़ के परिव्यय से 5 लाख MSE इकाइयों (जिनमें 2.5 लाख महिला-

नेतृत्व) को डिजिटल ऑनबोर्डिंग, क्रेडिटिंग, लॉजिस्टिक्स एवं पैकेजिंग सहायता प्रदान करती है। TReDS (Trade Receivables Discounting System) प्लेटफॉर्म MSME के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुगम बनाता है; बजट 2024-25 में इस पर अनिवार्य पंजीकरण की सीमा ₹500 करोड़ टर्नओवर से घटाकर ₹250 करोड़ कर दी गई।

8. महिला उद्यमिता एवं समावेशी विकास

MSME क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है। फरवरी 2024 तक के आँकड़ों के अनुसार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत MSME में 20.5% महिला-स्वामित्व की इकाइयाँ हैं, जो कुल रोजगार में 18.73% और टर्नओवर में 10.22% का योगदान करती हैं।

तालिका 6: महिला MSME की स्थिति एवं सरकारी पहलें

विवरण	आँकड़ा / पहल
महिला-स्वामित्व MSME (उद्यम पोर्टल, फरवरी 2024)	20.5% कुल पंजीकरण
महिला MSME का रोजगार में योगदान	18.73%
महिला MSME का टर्नओवर में योगदान	10.22%
CGTMSE गारंटी कवरेज (महिला MSE)	90% (बढ़ाई गई)
यशस्विनी अभियान (जून 2024)	WEP, NITI Aayog, MoRD के साथ साझेदारी में
IITF 2024 में महिला प्रतिभागी	71% स्टॉल महिला उद्यमियों को
SC/ST उद्यमियों को IITF स्टॉल	45% निःशुल्क आवंटित

स्रोत: MSME Annual Report 2024-25; PIB Press Release; IBEF MSME Report 2024

9. MSME क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ: अपार संभावनाओं के बावजूद, MSME क्षेत्र अनेक संरचनात्मक एवं परिचालनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है:

तालिका 7: MSME क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ एवं उनके समाधान

चुनौती	विवरण	सरकारी प्रतिक्रिया
ऋण की पहुँच	RBI अनुमान: ₹20-25 लाख करोड़ क्रेडिट गैप; 90% MSMEs के पास ₹1 लाख से कम निवेश	CGTMSE, MUDRA, ECLGS, TReDS
तकनीकी पिछड़ापन	आधुनिक तकनीक, ERP एवं डिजिटल उपकरणों का अभाव	ZED प्रमाणीकरण, Technology Centres, LEAN योजना
बाज़ार पहुँच की सीमितता	वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सीमित भागीदारी; GeM एवं निर्यात चैनलों का अपूर्ण उपयोग	GeM पोर्टल, MSME-TEAM, e-Commerce Export Hubs
विलंबित भुगतान	बड़े खरीदारों से समय पर भुगतान न मिलना	MSME Samadhaan, TReDS, MSMED Act धारा 15-23
कुशल जनशक्ति का अभाव	गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी	ESDP, Tool Rooms, Skill India एकीकरण
औपचारिकीकरण की धीमी गति	83% MSME का टर्नओवर ₹25 लाख से कम; अनौपचारिक क्षेत्र विशाल	उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP)
पर्यावरणीय अनुपालन	हरित प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत	ZED योजना, 'Green MSME' थीम IITF 2024

स्रोत: MSME Annual Report 2024-25; RBI Expert Committee Report; MSME Ministry Concept Note 2024

10. विशेष पहलें: PM विश्वकर्मा एवं अन्य नवाचार

PM विश्वकर्मा योजना MSME मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है जो 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करती है। इसमें वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी सहायता, बाज़ार पहुँच एवं डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन सम्मिलित हैं।

MSME Hackathon 4.0 (11 सितम्बर 2024 को लॉन्च) के माध्यम से 500 युवा उद्यमियों को प्रत्येक को ₹15 लाख तक की फंडिंग नवाचार एवं इनक्यूबेशन हेतु प्रदान की जाती है। CREATE (Centre for Rural Enterprise Acceleration through Technology) केंद्र, लेह (14 सितम्बर 2024 को उद्घाटन) ग्रामीण क्षेत्रों में पश्मीना ऊन, आवश्यक तेल निष्कर्षण एवं कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय आजीविका वृद्धि का केंद्र बना है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की उपलब्धि उल्लेखनीय है — KVI विक्रय 2014-15 के ₹33,135 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹1,55,673 करोड़ हो गई, जो 4 गुनी से अधिक वृद्धि है। KVI उत्पादन भी ₹27,569 करोड़ से तीन गुना बढ़कर ₹1,08,298 करोड़ तक पहुँचा।

11. अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा

भारतीय MSME को वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सक्रियता से बढ़ावा दे रही है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना MSME को अंतरराष्ट्रीय मेलों एवं

प्रदर्शनियों में प्रतिभाग कर नई प्रौद्योगिकियों एवं बाज़ारों से परिचित होने में सहायता करती है।

भारत-जापान संयुक्त कार्यकारी समूह (JWG) की बैठक में MSME प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए 5S और Kaizen प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। अमेरिकी लघु व्यवसाय प्रशासन (US-SBA) के साथ MoU पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय MSME विकास को प्रोत्साहन दिया गया। e-Commerce Export Hubs की स्थापना PPP मोड में भारतीय MSME एवं पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में उत्पाद बेचने की सुविधा देती है।

12. समीक्षात्मक विश्लेषण एवं नीतिगत निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार की MSME नीति एक बहुआयामी एवं समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित है। पाँच वर्षों में उद्यम पंजीकरण में 15 गुनी वृद्धि नीतिगत प्रभावशीलता का प्रमाण है। CGTMSE के अंतर्गत FY 2024-25 में एकल वर्ष में ₹3 लाख करोड़ की गारंटी ऋण सुविधा तक MSME की पहुँच में क्रांतिकारी सुधार का संकेत देती है।

तथापि, नीतिगत अंतराल भी विद्यमान हैं। RBI के अनुसार MSME क्षेत्र में ₹20-25 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप अभी भी मौजूद है। 83% MSMEs का टर्नओवर ₹25 लाख से कम होना उत्पादकता की सीमितता को दर्शाता है। बड़े एवं छोटे उद्यमों के बीच उत्पादकता अंतर एक गंभीर संरचनात्मक चुनौती है जिसका समाधान दीर्घकालिक नीतिगत हस्तक्षेप से ही संभव है।

डिजिटलीकरण एवं औपचारिकीकरण की दिशा में प्रगति उत्साहजनक है, किन्तु इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता एवं ऑनलाइन भुगतान ढाँचे की असमान उपलब्धता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक अवरोध बनी हुई है। 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए MSME क्षेत्र को एक विश्वस्तरीय, तकनीकी रूप से सक्षम एवं वित्तीय रूप से समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है।

13. निष्कर्ष

भारतीय MSME क्षेत्र 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह क्षेत्र न केवल GDP एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, अपितु ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर समावेशी विकास का आधार बनाता है।

सरकार ने PMEGP, CGTMSE, MUDRA, RAMP, ZED प्रमाणीकरण, उद्यम पोर्टल, PM विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से MSME पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के सराहनीय प्रयास किए हैं। FY 2025-26 में ₹23,168 करोड़ का बजटीय आवंटन सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है।

आगे की राह में सूक्ष्म उद्यमों की उत्पादकता वृद्धि, क्रेडिट गैप को पाटना, तकनीकी उन्नयन, निर्यात प्रोत्साहन एवं हरित MSME की दिशा में नीतिगत ध्यान केंद्रित करना अत्यावश्यक है। यदि ये प्रयास निरंतर एवं समन्वित रूप से जारी रहे, तो 2028 तक MSME क्षेत्र का निर्यात योगदान \$1 ट्रिलियन तक पहुँचने की संभावना है, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण एवं सेवा महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

संदर्भ-सूची

1. भारत सरकार, MSME मंत्रालय. वार्षिक रिपोर्ट 2024-25. नई दिल्ली: उद्योग भवन; 2025. Available from: <https://msme.gov.in>
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय. Demands for Grants 2025-26: MSME मंत्रालय (sbe68.pdf). नई दिल्ली; 2025. Available from: <https://www.indiabudget.gov.in>
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय. Demands for Grants 2026-27: MSME मंत्रालय. नई दिल्ली; 2026. Available from: <https://www.indiabudget.gov.in>
4. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB). MSME sector powers 30.1% of GDP, 28 Cr jobs: Manjhi [Internet]. 2025 Oct. PRID: 2142170. Available from: <https://pib.gov.in>
5. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB). Contribution of MSMEs to the GDP [Internet]. 2024 Jul. PRID: 2035073. Available from: <https://pib.gov.in>
6. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB). Udyami Diwas-MSME Day 2025 [Internet]. 2025 Jun. Available from: <https://pib.gov.in>

7. India Brand Equity Foundation (IBEF). MSME industry: growth & insights [Internet]. 2024. Available from: <https://www.ibef.org/industry/msme>
8. NITI Aayog, MSME Ministry. Concept note on enterprise development [Internet]. 2024. Available from: <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in>
9. Reserve Bank of India (RBI). Report of the expert committee on MSMEs. Mumbai: RBI; 2019.
10. Udyam Registration Portal. Live registration data [Internet]. 2025. Available from: <https://udyamregistration.gov.in>
11. IJNRD Research Journal. MSME and Indian economy. 2024;9(9). ISSN: 2456-4184.
12. Drishti IAS. Budget Vishesh: MSME Budget 2024-25 [Internet]. 2024. Available from: <https://www.drishtias.com>
13. DGCI&S, Ministry of Commerce & Industry. Export data of MSME products. 2024.
14. Ministry of MSME. Annual report 2023-24 [Internet]. 2024. Available from: <https://msme.gov.in>

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.